गहलोत को अब जूनियर नेता के निर्देश पर काम करना है

मुकुल वासनिक को कमेटी का कन्वीनर बनाकर गहलोत और भूपेश बघेल को बनाया गया सदस्य

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस ने भी अगले साल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सदस्य बनाया गया है।

कहा तो यह जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस नियुक्ति को देखते हुए अशोक गहलोत के समर्थक खुश भी हो रहे हैं। वही राजनितिक जानकारो का कहना है कि लोकसभा चुनाव तक अशोक गहलोत को राजस्थान के बाहर भेजकर कांग्रेस ने राजस्थान में नए लोगों को मौका देने का मन बना लिया है।

- यह कमेटी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का काम देखेगी, ऐसे में अब गहलोत का राजस्थान में दखल नहीं होगा

राजस्थान में लगातार 3 बार अशोक गहलोत के नेतृत्व में सत्ता गवाने के बाद कांग्रेस ने हमेशा की तरह ही गहलोत को दिल्ली में जिम्मेदारी दी है। हालांकि यह जिम्मेदारी उस तरह की नहीं है कि संगठन में बहुत ज्यादा दखल दिया जा सके। यह जिम्मेदारी ऐसी है, जिसमें अशोक गहलोत को मुकुल वासनिक के मातहत बनकर काम करना होगा, क्योंकि जिस कमेटी में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शामिल किया गया है, उसमें कन्वीनर मुकुल वासनिक हैं। इस कमेटी में राजस्थान के मोहन प्रकाश को भी मौका दिया गया है। मोहन प्रकाश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विश्वास लोगों में माने जाते हैं।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी करते हुए बताया है कि लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है।

कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस नेशनल अलायंस कमेटी का कन्वीनर मुकुल वासनिक को बनाया गया है। उनके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है।

'पुराने राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा करें'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की राजस्व अदालतों में दशकों से लंबित चल रहे मुकदमों का निस्तारण नहीं होने को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने सभी राजस्व अदालतों को निर्देश दिए हैं कि वह पांच से दस साल पुराने मामलों को अलग कैटेगिरी में रखकर उनका जल्दी निस्तारण किया जाए। वहीं ऐसे मामलों की पहचान के लिए उन्हें अलग रंग के कवर में रखा जाए। अदालत ने सभी राजस्व अधिकारियों को कहा है कि वह आर्डर शीट को कर्मचारियों के भरोसे न छोडकर स्वयं अपने हाथ से लिखे। इसके अलावा हर माल लंबित मामलो की जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर को भेजी जाए। जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश विशंभर दयाल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित पापड़ के हनुमानजी मंदिर पहुँचकर भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर की विभिन्न माँगों को लेकर अनशन पर बैठे संतों से वार्ता की और अनशन ख़त्म करवाया।

कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के निर्देश

चिकित्सा विभाग सॉर्स कॉव-2 जेएन. 1 वैरिएंट को लेकर सतर्क

जयपुर। प्रदेश में चिकित्सा विभाग करोना के नए वैरिएंट सॉर्स कॉव-2 जेएन. 1 को लेकर सतर्क हो गया है। इसके चलते विभाग ने कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग करोन के निर्देश दिए हैं।

चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने मंगलवार को शासन सचिवालय में राज्य में कोविड-19, आईएलआई तथा एसएआरआई रोगों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि केरल में सॉर्स कॉव 2 जेएन. 1 वैरिएंट के रोगी पाए गए है। इसे देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में आने वाले आईएलआई एवं श्वसन रोगों से पीड़ित रोगियों की सतत निगरानी की जाए। सात ही आवश्यकतानुसार जांच के लिए नमूने लिये जाएं। उन्होंने रोगियों की सूचना प्रतिदिन आईएचआईपी पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा, राज्य नोडल अधिकारी व एसएमएस मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलोजी विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि केरल में पाये गये सॉर्स कॉव-2 जेएन. 1 वैरिएंट का प्रदेश में एक भी रोगी चिन्हित नहीं हुआ है।

- चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने नए वैरिएंट को लेकर की समीक्षा बैठक

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में इस वैरिएंट का एक भी रोगी सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन सभी चिकित्सा संस्थानों में रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक आइसोलेशन बैड, ऑक्सीजन बैड, आईसीयू बैड, वेन्टीलेटर, दवाइयों एवं जांच सुविधा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सिंह ने कहा कि संयुक्त निदेशक-जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आईडीएसपी टीम आईएलआई एवं एसएआरआई रोगियों की निगरानी रखे। वहीं ऐसे रोगियों की जांच कराई जाए। किसी जिले में कोविड पॉजिटिव रोगी पाये जाने पर उसका सैम्पल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लैब में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह सुविधा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में उपलब्ध है।

उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के चिकित्सा मंत्री, एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव वीसी में मौजूद रहेंगे। राजस्थान से एसीएस हैल्थ शुभ्रा सिंह समेत अन्य चिकित्सा अधिकारी वीसी में शामिल होंगे।राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व कोरोना की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों के बारे में रिपोर्ट देंगे।

युवाओं के नाम जोड़ने के लिए 6 से विशेष अभियान : प्रवीण गुप्ता

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता भी मौजूद थे।

जयपुर, (कासं)। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों के संबंध में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। इस क्रम में अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आगामी 6 जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में इनकी संख्या करीब 3 लाख होगी। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर, दिव्यांग एवं सहरिया आदिवसियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के 4 अक्टूबर, 2023 को अंतिम प्रकाशन के बाद नए नाम जोड़ने के लिए अब तक प्रपत्र 6 में 3,11,034 आवेदन सहित कुल 5,27,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 87,314 को छोडकर शेष आवेदन निस्तारित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 नवंबर ई-रोल अपडेट हुए सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान-पत्र मुद्रित कर वितरित किए जा चुके हैं।

युवती की सरेराह हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने करीब तीन साल पहले सरेराह युवती को चाकू से गोदकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त विष्णु चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर 26 सितंबर, 2020 को मृतका गरिमा की बुआ के बेटे ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी ममेरी बहन गरिमा परीक्षा देने सुबह वैदिक कन्या कॉलेज गई थी। करीब 10.30 बजे सूचना मिली की विष्णु चौधरी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका कनोडिया कॉलेज में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अभियुक्त विष्णु चौधरी उसका परिचित था। अभियुक्त ने वैदिक कन्या कॉलेज के बाहर खडी गरिमा को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त पूर्व में पीडिता को फोन कर परेशान करता था।

आभार जताया

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने आज केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री गडकरी को संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ और प्रदेश में राजमार्गों को लेकर दी सौगातों के संबध में आभार जताया।

पीएम मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत बनाना : प्रभुलाल सैनी

जयपुर, (का.सं.)। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया गया। इस दौरान कार्यशाला के दो सत्र आयोजित किए गए जिसमें प्रथम सत्र को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रदेश संयोजक प्रभुलाल सैनी ने संबोधित किया। वहीं दूसरे सत्र को मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा ने संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्षों और जिला महामंत्रियों को प्रदेशभर से पांच लाख दस्तकारों और कारीगरों को इस योजना से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर चलने का आव्हान किया गया। जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 दस्तकारों और कारीगरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक ट्रेड के कारीगरों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के विजन पर काम किया जाएगा।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरदृष्टि के नेता हैं और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने आजादी के बाद जो आर्थिक रोडमैप बनाया उसमें हमारे पारंपरिक व्यवसायों लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और किसानों को कौशल से दूर करने का प्रयास किया।

राज्यपाल से विदेश सेवा के अधिकारियों ने मुलाकात की

राज्यपाल कलराज मिश्र से भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1998 और 1999 के तीन अधिकारियों ने मंगलवार को राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल से इन अधिकारियों की यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने विदेश सेवा के अधिकारियों से संवाद करते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए भारतीय संस्कृति और गौरव के प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। हरिशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र सोनी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में लिप्त 7 बदमाशों को अजमेर जेल शिफ्ट किया

जयपुर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों और प्लानिंग में मदद करने वाले 7 बदमाशों को एनआईए कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया। कोर्ट में पेशी के बाद सोमवार को जब पुलिस सातों बदमाशों को लेकर जयपुर सेंट्रल जेल पहुंची तो अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने यहां रखने से इनकार कर दिया। इस पर जेल विभाग के सीनियर अधिकारियों और कमिश्नरेट के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। इसके बाद सभी बदमाशों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखने का फैसला किया गया। उधर दूसरी ओर एन.आई.ए. ने इन आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

- बताया जा रहा है कि जयपुर सेंट्रल जेल में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इन बदमाशों को यहां रखने से मना किया
- अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है बदमाशों पर नजर

सूत्रों के अनुसार जयपुर जिला जेल और सेंट्रल जेल में इन बदमाशों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन इनकी जान को खतरा था। इसलिए इनको हाई सिक्योरिटी में रखना जरूरी हो गया था। अधिकारियों का मानना है कि 5 दिसंबर को गोगामेड़ी की हत्या के बाद से आरोपियों और पुलिस प्रशासन के खिलाफ समाज काफी आक्रोशित है। आरोपियों नितिन फौजी, रोहित राठौड़, रामवीर जाट, सुमित, राहुल, भवानी उर्फ रोनी और उधम सिंह की जान को खतरा है। इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर सेंट्रल जेल में अगर इन बदमाशों को रखा जाता तो कभी भी इन पर हमला हो सकता था। इसके चलते जेल प्रशासन पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते थे। बताया जा रहा है कि अजमेर जेल में सातों आरोपियों को दो अलग-अलग बैरक में रखा गया है। इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बैरकों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इनके बैरक के बाहर 24 घंटे एक गार्ड भी लगाया गया है, जो इन पर व्यक्तिगत निगरानी रख रहा है। सेंट्रल जेल में प्रदेश के 25 से अधिक हार्डकोर क्रिमिनल बंद हैं, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए इन पर पैनी नजर रखी जा रही है।

ज्ञात रहे कि मामले की जांच के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने एडिशनल कमिश्नर (जयपुर) कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने हत्या करने वाले शूटर मकराना के जूसरी निवासी रोहित राठौड़, हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी नितिन फौजी, फरारी में सहयोग करने वाले रामवीर जाट, उधम सिंह और वारदात के पहले नितिन को पनाह देने के मामले में पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही हत्या की साजिश में शामिल भवानी सिंह उर्फ रोनी, राहुल और सुमित को हरियाणा की जेल से प्रोडक्शन वारंट परगिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड के शूटरों तक हथियार पहुंचाने वाला कोटा के गुमानपुरा निवासी हिस्ट्रीशीटर महेंद्र उर्फ समीर हथियार लेकर फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि महेंद्र के पास -47 भी हो सकती है। उसकी पत्नी पूजा सैनी के पास से पुलिस को एक फोटो मिली है, जिसमें उसके फ्लैट पर -47 रखी हुई है। यह -47 राजू ठेहट हत्याकांड के लिए मंगवाई गई थी। महेंद्र ने हत्याकांड के लिए हथियार और पैसे की व्यवस्था की थी। महेंद्र ने परिचित युवती के बैंक खाते में चंडीगढ़ से किसी के जरिए 6 लाख रुपए मंगवाए थे। पुलिस ने महेंद्र पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है।

तीये की बैठक

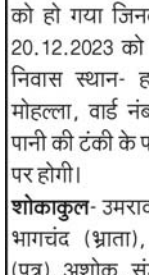

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी
श्री ताराचंद जी कायथ
का स्वर्गवास सोमवार 18.12.2023 को हो गया जिनकी तीये की बैठक 20.12.2023 को समय 3 से 4 बजे निवास स्थान- हाड़ीपुरा, रैगरो का मोहल्ला, वार्ड नंबर 2, खेल मैदान, पानी की टंकी के पास, आमेर, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल- उमराव मल, सुरेंद्र कुमार, भागचंद (भ्राता), मनमोहन कायथ (पुत्र), अशोक, संजय, विनय, दीपक समस्त कायथ परिवार। जितेंद्र- पूजा, कमल- आरती (बेटी- दामाद)
मो.- 8384924649, 9314322333

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन सूचना
मेरे कुछ दस्तावेज में मेरा नाम बाबू लाल मालिया दर्ज है और सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम बाबू लाल हरिजन दर्ज है मैं अपने सभी दस्तावेजों और सर्विस रिकॉर्ड में मेरा सही नाम बाबू लाल मालिया दर्ज करवाना चाहता हूं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे। पता 107 श्यामपुरी हिदा की मोरी गांधी सर्किल जयपुर

आम सूचना
मैं ओमप्रकाश सारवान पुत्र स्वर्गीय श्री गिरिराज प्रसाद सारवान आयु 45 वर्ष निवासी प्लॉट नंबर 67 संतोष नगर अजमेर रोड जयपुर सशपथ बयान करता हूं कि मैंने एक प्लॉट सर्वे नंबर 2616, 2627 मनोहरपुर कच्ची बस्ती जगतपुरा जयपुर में सन 2007 में रामलाल पुत्र श्री दूजी राम से खरीदा था जिसे मैंने सन 2017 माह नवंबर में मेरे छोटे भाई मुकेश सारवान पुत्र स्वर्गीय श्री गिरिराज प्रसाद सारवान को पारिवारिक बंटवारे के तहत मय समान समस्त दस्तावेज व कब्जे के साथ मौके पर संभला दिया था मेरा इस उक्त प्लॉट से कोई लेना- देना शेष नहीं है इस प्लॉट से संबंधित समस्त लाभ हानि की और कानूनी विवाद और इससे संबंधित सभी कार्यवाहियों की जिम्मेदारियां मेरे छोटे भाई मुकेश सारवान की रहेगी ओमप्रकाश सारवान पुत्र स्व. श्री गिरिराज प्रसाद सारवान

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :-13395 दिनांक :-15.12.2023
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 104/121 (MIG-B), (एरिया 156.50 वर्गमीटर.) का आवंटन श्री सी.पी. शर्मा पुत्र श्री एम.पी. शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1078 दिनांक 09.06.2004 को जारी किया गया था। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 19.06.2004 के द्वारा प्राप्त किया गया।
श्री सी.पी. शर्मा की मृत्यु दिनांक 24.05.2021 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी, पुत्रीयाँ एवं पुत्र 1. श्रीमती उमा शर्मा पत्नी स्व. चन्द्र प्रकाश 2. श्रीमती दिप्ती एन. मुदगल पत्नी श्री नितिन मुदगल 3. सुश्री प्रियंका शर्मा पुत्री स्व. श्री सी.पी. शर्मा 4. सुश्री रूचि शर्मा पुत्री स्व. श्री सी.पी. शर्मा एवं 5. श्री चिकु शर्मा पुत्र स्व. श्री सी.पी. शर्मा द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, 1. श्रीमती उमा शर्मा पत्नी स्व. चन्द्र प्रकाश 2. श्रीमती दिप्ती एन. मुदगल पत्नी श्री नितिन मुदगल 3. सुश्री प्रियंका शर्मा पुत्री स्व. श्री सी.पी. शर्मा 4. सुश्री रूचि शर्मा पुत्री स्व. श्री सी.पी. शर्मा एवं 5. श्री चिकु शर्मा पुत्र स्व. श्री सी.पी. शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज, आवा. मण्डल, जयपुर

(18) लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान
राजस्थान वेटेनरी यूनिवर्सिटी, बीकानेर से मान्यता प्राप्त
2 वर्षीय पशु चिकित्सा डिप्लोमा
12th कृषि अथवा जीव विज्ञान
एडमिशन मैनेजमेंट सीट
229(A), राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 51/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री ब्रजविहारी सैनी (बहादूर) पुत्र श्री भौमसिंह निवासी 3, सैनी मोहल्ला, मूंडपुरी खुर्द, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज ट्रस्ट, मूंडपुरी खुर्द, तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 07.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 12.01.2024
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 289/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी निवासी मानपुर दौसा (राज.) ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत आदर्श शिक्षा समिति, दौसा पूनम सिनेमा के पीछे उच्च मा.वालिका विद्यालय परिसर दौसा के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 5.2.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. CIS-339/22
रेखा देवी बनाम गोपाल वगैराह
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमति रेखा देवी पत्नी गोपाल छीपा जाति बावरिया
स्थान ए-55, रामसिंह कालोनी, रामसिंहपुरा, प्रतापनगर, सांगानेर
12 DA Act की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 02.01.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि नाम गोपाल छीपा पुत्र रामेश्वर जाति-छीपा निवासी-ग्रा. पदमपुरा, रोड टोडाभीम, जिला-करौली (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 01 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 31 माह 10 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 305/23
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम सुनिल कुमार पारीक पुत्र गोविन्द नारायण पारीक जाति पारीक
विवाद स्थान 1145, गलता वालों की बगीची, चोकडी गंगापोल त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
मृतक गोविन्द नारायण पारीक की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 5.1.24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम गोविन्द नारायण पारीक पुत्र कन्हैयालाल पारीक जाति..... निवासी 1145, गलता वालों की बगीची, चोकडी गंगापोल त्रिपोलिया बाजार, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05 माह 01 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 6 माह 12 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 2554 दिनांक-15/12/23
आम सूचना
मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना स्कीम नं. 8, स्वामी विहार के भूखण्ड संख्या 251 के नियमन एवं पट्टा विलेख जारी करने बाबत आवेदक श्री उमेश अंगी, अध्यक्ष श्रृंग विचार समिति, जयपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा मूल आवंटी श्री अरुण जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन द्वारा दिनांक 09.10.2000 को अध्यक्ष, श्रृंग विचार समिति श्री सिद्ध गोपाल सिखवाल के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नियमन कर पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-5, जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सकल सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 279 / 2023
चूंकि श्री सत्य नारायण मोदानी पुत्र श्री